



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10092021-229549
CG-DL-E-10092021-229549

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 510]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 10, 2021/भाद्र 19, 1943

No. 510]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 10, 2021/BHADRA 19, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2021

सं. 42/2021-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 624(अ).—वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा तक संशोधन करती है, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या तथा तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून,	उक्त अधिसूचना में, सारणी में,- (i) क्रम संख्या 57 के समक्ष, कॉलम (4) में, वर्तमान

	2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था।	<p>प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “2.5%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;</p> <p>(ii) क्रम संख्या 61 के समक्ष, कॉलम (4) में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “2.5%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;</p> <p>(iii) क्रम संख्या 62 के समक्ष, कॉलम (4) में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “32.5%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;</p> <p>(iv) क्रम संख्या 65 के समक्ष, कॉलम (4) में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “32.5%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;</p> <p>(v) क्रम संख्या 70 के समक्ष, कॉलम (4) में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “2.5%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;</p> <p>(vi) क्रम संख्या 71 के समक्ष, कॉलम (4) में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “32.5%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;</p>
2.	11/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021, जिसे सा.का.नि. 69(अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था।	<p>उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-</p> <p>(i) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “कच्चा पाम आयल” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;;</p> <p>(ii) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (4) में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “20%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;</p>

2. यह अधिसूचना 11 सितम्बर, 2021 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/189/2021-टीआरयू]

गौरव सिंह, उप सचिव

नोट :

1. प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, को सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 38/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 26 जुलाई, 2021, जिसे सा.का.नि. 508(अ), दिनांक 26 जुलाई, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।
2. प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021 को सा.का.नि. 69(अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 38/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 26 जुलाई, 2021, जिसे सा.का.नि. 508(अ), दिनांक 26 जुलाई, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th September, 2021

No. 42/2021-Customs

G.S.R. 624(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), read with section 124 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby amends the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) specified in column (2) of the Table below, to the extent specified in the corresponding entries in column (3) of the said Table, namely:-

TABLE

S. No.	Notification No. and Date	Amendments
(1)	(2)	(3)
1.	50/2017-Customs, dated the 30 th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 785(E), dated the 30 th June, 2017	In the said notification, in the Table- (i) against S. No. 57, in column (4), for the entry, the entry “2.5%” shall be substituted; (ii) against S. No. 61, in column (4), for the entry, the entry “2.5%” shall be substituted; (iii) against S. No. 62, in column (4), for the entry, the entry “32.5%” shall be substituted; (iv) against S. No. 65, in column (4), for the entry, the entry “32.5%” shall be substituted; (v) against S. No. 70, in column (4), for the entry, the entry “2.5%” shall be substituted; (vi) against S. No. 71, in column (4), for the entry, the entry “32.5%” shall be substituted;
2.	11/2021-Customs, dated the 1 st February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 69(E), dated the 1 st February, 2021	In the said notification, in the Table- (i) against S. No. 7, in column (3), for the entry, the entry “Crude Palm Oil” shall be substituted; (ii) against S. No. 7, in column (4), for the entry, the entry “20%” shall be substituted;

2. This notification shall come into effect on the 11th September, 2021.

[F. No. CBIC-190354/189/2021-TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy,

Note :

1. The principal notification No. 50/2017-Customs, dated the 30th day of June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E)., dated the 30th day of June, 2017 and last amended *vide* notification No. 38/2021-Customs, dated the 26th day of July, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 508(E), dated the 26th day of July, 2021.
2. The principal notification No. 11/2021-Customs, dated the 1st day of February, 2021 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 69(E)., dated the 1st day of February, 2021 and last amended *vide* notification No. 38/2021-Customs, dated the 26th day of July, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 508(E)., dated the 26th day of July, 2021.